MR. CHAIRMAN : Now, we will take up Matters under Rule 377. Shri Ravindra Kumar Pandey.

**Title:** Need to look into the complaints of adulteration in petroleum products in the States of Jharkhand and Bihar.

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** सभापति महोदय, झारखंड एवं बिहार राज्य में पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एल.पी.जी.) में मिलावट की शिकायतें बढ़ रही हैं और माप-तोल में भी हेराफेरी की शिकायत होती है परन्तु ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा इसकी समुचित जांच नहीं होती है। यद्यपि प्रत्येक फिलिंग स्टेशनों पर शिकायत भेजने वाले अधिकारियों का सम्पर्क नम्बर लिखा होता है, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर कार्यवाई नहीं होती है। पैट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी. विक्रेता सामान्यतः इतने प्रभावशाली होते हैं कि उपभोक्ताओं को शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज नहीं करने देते हैं।

अतः सरकार से आग्रह है कि विभिन्न ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर समुचित कार्यवाई हो और ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाए।